भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3337 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

भारतीय नाविकों की सुरक्षा

†3337. श्री तमिलसेल्वन थंगा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फिलीपींस और चीन के बाद भारत दुनिया को नाविक की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केवल पिछले वर्ष ही लगभग 1125 भारतीय नाविकों को लावारिस छोड़ दिए जाने की खबर है और कई भारतीय नाविक कई महीनों से भूख और भुखमरी से पीड़ित रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों को समुद्र के बीच में लावारिस छोड़े जाने, भूख और भुखमरी से बचाने और उनके जीवन तथा नौकरियों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) बीआईएमसीओ/आईसीएस *नाविक वर्कफोर्स रिपोर्ट, 2026* के अनुसार, भारत 3.11 लाख से अधिक नाविकों की अनुमानित आपूर्ति करने के साथ वैश्विक स्तर पर नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।

(ख) नाविकों को लावारिस छोड़े जाने संबंधी आईएलओ/आईएमओ के संयुक्त डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान नाविकों को लावारिस छोड़े जाने के मामलों में 172 जलयानों पर 1,373 भारतीय नाविकों के प्रभावित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार, 119 जलयानों पर 1,010 नाविकों के मामलों का समाधान कर दिया गया है। लावरिस छोडे जाने के मामलों में, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (एमएलसी), 2006 के

अंतर्गत भोजन, पेयजल, पारिश्रमिक, चिकित्सा सुविधा तथा स्वदेश वापसी पोत-स्वामियों का दायित्व है। ऐसे मामलों में, जिनमें नाविकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए), प्रभावित नाविकों को आवश्यक आपूर्ति की व्यवस्था तथा उनकी स्वदेश वापसी को सुगम बनाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, आरपीएसएल एजेंसियों, पोत-स्वामियों, पी एंड आई क्लबों तथा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (आईटीएफ) जैसे कल्याणकारी संगठनों के साथ निकट समन्वय स्थापित करता है।

(ग) सरकार ने नाविकों को लावारिस छोड़े जाने की घटनाओं की रोकथाम तथा भारतीय नाविकों के कल्याण की रक्षा हेतु अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधनों तथा विनियामक सूचनाएं/आदेश करके नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना, तैनाती से पूर्व जलयानों का अनिवार्य सत्यापन, अनुपालन न करने वाले जलयानों पर प्रतिबंध लगाना तथा उन्हें काली सूची में डालना, भर्ती एवं प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस (आरपीएसएल) एजेंसियों की अधिक निगरानी, फँसे हुए नाविकों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित समन्वय, नाविकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा आरपीएसएल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, फँसे हुए नाविकों तथा उनके परिवारों के लिए नाविकों को लावारिस छोड़े जाने के मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए आईएमओ, आईएलओ तथा आईटीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निरंतर बातचीत के अतिरिक्त वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी सहायता तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।
